इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 369]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2020—आश्विन 9, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2020

क्र. 11516-209-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27 सितम्बर, 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय कुमार, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०२०

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०२०

[दिनांक २७ सितम्बर, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १ अक्टूबर, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

३१ मार्च, २०१३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०२० है.

३१ मार्च, २०१३ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये २४,२६,१८९ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये चौबीस लाख छब्बीस हजार एक सौ नवासी होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २०१३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २०१३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिए)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) आधिक्य		
		मतदत्त	भारित	योग
		रुपये	रुपये	रुपये
१०.	वन विभाग		२३,०८,७१४	२३,०८,७१४
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें		१,१७,४७५	१,१७,४७५
	योग :		२४,२६,१८९	२४,२६,१८९

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2020

क्र. 11516-209-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) अधिनियम, 2020 (क्रमांक 23 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय कुमार, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 23 OF 2020

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) ACT, 2020

[Received the assent of the Governor on the 27th September, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 1st October, 2020.]

An Act to provide for the authorization of appropriation of money out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of the March, 2013 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy first year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2020. **Short title.**

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Twenty four lakh twenty six thousand one hundred eighty nine rupees shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount specnt on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the financial year ended on the 31st day of March, 2013 in excess of the amounts granted for those services and for that year. **Issue of Rs. 24,26,189 out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31st March, 2013.**

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on the 31st day of March 2013. **Appropriation.**

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

(1) No. of vote	(2) Service & purpose	(3) Excess		
		Voted Rs.	Charged Rs.	Total Rs.
10	Forest		**23,08,714**	23,08,714
24	Public Work		**1,17,475**	1,17,475
		Total . .	**24,26,189**	24,26,189

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.